**न्यायालय सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर**
**पीठासीन अधिकारी : डॉ. प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस.**

**विभागीय अपील संख्या 15/2021**

| अपीलांट | बनाम | रेस्पोटेन्ट |
|---|---|---|
| मोहनलाल सूत्रकार,,<br>तत0 भू0अ0 निरीक्षक– मुख्यालय फलौदी<br>हाल–नायब तहसीलदार<br>उपखण्ड अधिकारी कार्यालय,<br>जोधपुर | | जिला कलेक्टर (भू0अ0)<br>जोधपुर |

विभागीय अपील अन्तर्गत नियम 23 राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियम एवं अपील) नियम 1958 विरूद्ध आदेश जिला कलेक्टर (भू0.अ0) जोधपुर के भू0अ0/स्थापना/2020/7769 दिनांक 15.09.2020 जिसके द्वारा सीसीए 16 के तहत अपीलान्ट की तीन वेतनवृद्धियॉ संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया।

**उपस्थितिः––**

1. **अपीलान्ट स्वयं उपस्थित।**
2. **विभागीय पैरोकार तहसीलदार, लूणी श्री इमरान खान उपस्थित।**

## निर्णय

**दिनांकः 23 जून,2025**

1. अपीलान्ट ने यह विभागीय अपील नियम 23 राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियम एवं अपील) नियम 1958 के तहत जिला कलेक्टर (भू0.अ0) जोधपुर के भू0अ0/स्थापना/2020/7769 दिनांक 15.09.2020, के द्वारा सीसीए 16 के तहत अपीलान्ट की तीन वेतनवृद्धियॉ संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया, के विरूद्ध दिनांक 16.8.2024 को इस कार्यालय के समक्ष पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर जिला कलेक्टर जोधपुर से अपील पर टिप्पणी एवं उनका मूल अभिलेख तलब किया गया।

3. तत्पश्चात उपस्थित अपीलान्ट एवं विभागीय पैरोकार तहसीलदार, लूणी श्री इमरान खान को सुना गया। अपीलान्ट ने दौराने सुनवाई अपील में अंकित तथ्यों के अनुसार मुख्य रूप से यह कथन किया कि अपीलार्थी के भू0अभिलेख निरीक्षक के पद पर कार्यरत रहते हुए

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

उनकी प्रतिनियुक्ति तहसील कार्यालय लूणी में होने से अपीलार्थी अनवरत रूप से अपने कार्यस्थल पर उपस्थित रहकर सेवाएं प्रदान करता रहा है। श्रीमान जिला कलेक्टर, जोधपुर द्वारा ज्ञापन कमांक 9782 दिनांक 13.08.2018 के द्वारा अपीलान्ट को निम्न आरोप से आरोपित किया गयाः–

आरोप संख्या एक–

यह कि आप श्री मोहनलाल सूत्रकार, निलम्बित भू0अ0 निरीक्षक मुख्यालय तहसील फलौदी रहने के दौरान आप द्वारा दिनांक 18.5.2018 को तहसील लूणी में भू0अ0 शाखा में आकर मेज पर रखा उपस्थिति रजिस्टर लेकर स्वयं द्वारा ही उपस्थिति पंजिका में अपना नाम लिखकर अपने हस्ताक्षर दिनांक 1.3.2018 से 30.4.2018 तक में कर दिये। ऑफिस कानूनगों द्वारा जबरन नाम लिखकर हस्ताक्षर करने से मना करने पर आपने माह मार्च, 2018 एवं माह अप्रेल, 2018 में स्वयं का नाम लिखकर हस्ताक्षर किये, हस्ताक्षर काट दिये व लाईनिंग कर दी। राजकीय रिकार्ड में कांट–छांट करना एक राज्य कर्मचारी के आचरण के विरूद्ध एवं अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है, जिसके लिये आप दोषी है। आपका उक्त कृत्य निन्दनीय व दण्डनीय है।

4. अपीलान्ट ने दौराने व्यक्तिगत सुनवाई यह कथन किया कि अपीलार्थी को उक्त आरोप पत्र का जवाब प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये बिना ही सक्षम अधिकारी द्वारा जॉच अधिकारी को नियुक्त कर दिया गया। अनुशासनिक अधिकारी के बिना तथ्यों व विधिक पहलुओं पर ध्यान दिये बिना ही हस्तगत आदेश दिनांक 15.0.9.2020 पारित कर दिया गया और अपीलार्थी की तीन वेतनवृद्धियां संचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है। जिला कलेक्टर जोधपुर के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

5. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि अनुशासनिक अधिकारी द्वारा बिना प्रारम्भिक जॉच अमल में लाये आरोप पत्र जारी कर दिया, जबकि अपीलार्थी के विरूद्ध दर्शाये गये आरोप बिना किसी आधार के विरचित किये गये व सत्यता से परे है। अपीलान्ट को वांछित दस्तावेजात व रेकर्ड भी उपलब्ध नहीं करवाया गया और रेकर्ड उपलब्ध करवाये बिना ही जॉच कार्यवाही सम्पादित की गई है। अनुशासनिक अधिकारी के द्वारा भी अपीलान्ट को समुचित जवाब का अवसर प्रदान नहीं किया गया, न ही अपीलार्थी को जवाब प्रस्तुत करने का अवसर देकर व बाद मनन जवाब के जॉच कार्यवाही की गई है। जॉच अधिकारी के



संभागीय आयुक्त
जोधपुर

द्वारा बिना किसी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के अपीलार्थी के विरूद्ध विरचित आरोप को प्रमाणित मान कर कानूनी भूल कारित की है और अनुशासनिक अधिकारी के द्वारा भी इस तथ्य पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया है। उक्त आरोप पत्र नियमानुसार प्रारम्भिक जॉच अमल में लाये बिना ही जारी किये जाने के आधार पर समस्त कार्यवाही काबिले निरस्तनीय है।

6. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि जॉच अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी का स्पष्ट कथन कि अपीलार्थी को निलम्बित किये जाने के उपरान्त कार्यमुक्त नहीं किया गया व न ही तत्कालीन तहसीलदार के द्वारा कार्यमुक्ति का आदेश प्रदान किया गया व अपीलान्ट के द्वारा निरन्तर अपनी उपस्थिति माह मई, 2018 तक उपस्थिति पंजिका में अंकित की गई परन्तु जॉच अधिकारी द्वारा बिना किसी मौखिक तथ्य, दस्तावेजी साक्ष्य उपस्थापक अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जबाव पर विचार किये बिना ही तहसीलदार, लूणी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 18.5.2018 पर Reli कर आरोप प्रमाणित माना है जो कि पूर्णतया कपोल कल्पित होकर आधारहीन है। अनुशासनिक अधिकारी द्वारा इस तथ्य पर गौर किये बिना ही कि प्रार्थी का मूल पदस्थापन तहसील कार्यालय जोधपुर था व अपीलार्थी तहसील कार्यालय लूणी में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत था, जिसमें अपीलार्थी निलम्बित होने पर अपीलार्थी को मूल पदस्थापन हेतु कार्यमुक्त किया जाना था जबकि कार्यमुक्ति आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को प्रतिनियुक्ति स्थान से सीधे ही तहसील फलौदी हेतु कार्यमुक्त कर दिया गया, जो कि अपीलार्थी के विरूद्ध द्वेषता इंगित करता है।

7. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि अनुशासनिक अधिकारी के द्वारा बिना जॉच अधिकारी की रिपोर्ट मय नोटिस तामील करवाये तथा अपीलार्थी को अभ्यावेदन के विरूद्ध नोटिस दिये जाने का समुचित अवसर दिये बिना ही हस्तगत आदेश पारित कर दिया जो कि नियमों में विधिक प्रकिया के विपरित होने से काबिले निरस्त है। अनुशासनिक अधिकारी के द्वारा प्रकरण में पूर्णतया किसी विवेचना (अनरिजन) व बिना मस्तिष्क का उपयोग किये व बिना विधिक प्रकिया अपनाये पारित किया गया अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य होने से निरस्त किया जावे एवं अपीलार्थी को दोषमुक्त करते हुए अपीलार्थी की संचयी प्रभाव से रोकी गई तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां को बहाल किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

8. प्रत्युतर में दौराने बहस उपस्थित रहे विभागीय पैरोकार, तहसीलदार लूणी श्री इमरान खॉन ने जिला कलेक्टर जोधपुर के द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध पारित किये गये दण्डादेश को



सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

को यथावत रखे जाने का निवेदन किया तथा जिला कलेक्टर जोधपुर के द्वारा अपील पर प्रेषित टिप्पणी को ही अपनी बहस माने जाने का कथन किया गया।

9. विभागीय पैरोकार ने दौराने सुनवाई उपरोक्त टिप्पणी के अनुसार यह कथन किया कि अपीलान्ट पटवारी पर आरोपित किये गये आरोप के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी, लूणी से विभागीय जॉच करवाई गई थी जिसमें जॉच अधिकारी के द्वारा अपीलान्ट पर आरोपित आरोप को प्रमाणित माना था, जिसमें अपीलान्ट को दिनांक 28.2.2018 को कार्यमुक्त कर दिया था, उसके बाद दिनांक 18.5.2018 को कार्यालय में आकर उपस्थिति पंजिका में माह मार्च–अप्रेल,2018 में जबरन अपना नाम लिखकर हस्ताक्षर कर दिये थे, जबकि इनका मुख्यालय फलौदी था। अपीलान्ट माह फरवरी, 2018 तक प्रतिनियुक्ति पर तहसील लूणी में कार्यरत थे तत्पश्चात तहसीलदार, लूणी के आदेश दिनांक 28.2.18 को कार्यमुक्त करने से पहले माह मार्च, 2018 व अप्रेल, 2018 में इनका नाम नहीं लिखा गया था। तत्कालीन ऑफिस कानूनगों व तहसीलदार लूणी की कार्यालय टिप्पणी दिनांक 18.5.2018 से स्पष्ट है कि श्री सूत्रकार दिनांक 28.2.2018 को कार्यमुक्त हो चुके थे तथा मार्च व अप्रेल तथा दिनांक 18.5.2018 तक कार्यालय में उपस्थित नहीं रहे। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 18.5.2018 को सरकारी उपस्थिति पंजिका में स्वयं के द्वारा अपना नाम लिखकर एवं हस्ताक्षर किये गये। ऑफिस कानूनगों के द्वारा मना करने पर स्वयं द्वारा हस्ताक्षर को लाईन कर काट दिया गया। इस तरह रेकर्ड में कांट–छांट करना एक गम्भीर आरोप है और वह प्रमाणित होता है। अपीलान्ट को दिनांक 27.2.2018 को निलम्बित किया जाकर दिनांक 28.2.2018 को तहसील फलौदी में उपस्थिति देने हेतु कार्यमुक्त कर दिया गया था। जॉच अधिकारी की रिपोर्ट का अवलोकन कर अपीलान्ट को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.09.2020 को पारित करते हुए दण्डित किया गया है जो विधि सम्मत है। लिहाजा अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

10. हमने अपीलान्ट एवं विभागीय पैरोकार के द्वारा दौराने बहस प्रकट किये गये तथ्यों पर गहनता से चिंतन एवं मनन किया तथा अपील, अपील पर प्रेषित टिप्पणी, जिला कलेक्टर, जोधपुर की पत्रावली का बगौर अवलोकन किया, जिससे यह पाया गया है कि जिला कलेक्टर जोधपुर के द्वारा अपीलान्ट पर आरोपित आरोपों के सम्बन्ध में सीसीए नियम 16 के तहत कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए उपखण्ड अधिकारी लूणी को जॉच अधिकारी नियुक्त करते



सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

हुए विभागीय जॉच कार्यवाही सम्पादित करवाई गई है। जॉच अधिकारी के द्वारा अपीलान्ट पर आरोपित आरोप को प्रमाणित होना बताया है। तत्पश्चात कलेक्टर, जोधपुर के द्वारा अपीलान्ट को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उनकी तीन वार्षिक वेतनवृद्धियॉ संचयी प्रभाव से रोके जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.09.2020 से दण्डित किया गया है।

**11.** अपीलान्ट के द्वारा आरोपित आरोप के सम्बन्ध में अपील में यह उल्लेखित किया गया है कि अनुशासनिक अधिकारी के द्वारा जवाब का समुचित अवसर दिये व बिना दस्तावेजात उपलब्ध कराये ही आरोपित आरोप को प्रमाणित होना मानते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है।

**12.** अपीलान्ट पर यह आरोप आरोपित किया गया था कि ''तहसीलदार लूणी कार्यालय के संधारित उपस्थिति रजिस्टर में दिनांक 18.5.2018 को स्वयं के द्वारा अपना नाम लिखकर दिनांक 1.3.2018 से 30.4.2018 तक के हस्ताक्षर कर दिये गये। ऑफिस कानूनगों द्वारा जबरन नाम लिखकर हस्ताक्षर करने से मना करने पर आपने माह मार्च, 2018 एव माह अप्रेल, 2018 में स्वयं द्वारा नाम लिखकर किये गये हस्ताक्षर काट दिये गये व उन पर लाईनिंग कर दी। राजकीय रिकार्ड में कांट–छांट करना एक राज्य कर्मचारी के आचरण के विरूद्ध एवं अनुशासहीनता की श्रेणी में आता है।''

**13.** अपीलान्ट के द्वारा दौराने सुनवाई उक्त अवधि के सम्बन्ध में यह कथन किया गया है कि अपीलान्ट को निलम्बित किये जाने के उपरान्त तत्कालीन तहसीलदार, लूणी के द्वारा कार्यमुक्त नहीं किया गया व न ही उन्हें कार्यमुक्ति आदेश प्रदान किया गया। अपीलार्थी के द्वारा निरन्तर अपनी उपस्थिति माह मार्च, 2018 से माह मई, 2018 तक उपस्थिति पंजिका में अंकित की गई परन्तु जॉच अधिकारी के द्वारा बिना किसी मौखिक तथ्य, दस्तावेजी साक्ष्य उपस्थापक अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये बिना ही तहसीलदार लूणी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को सही मानते हुए आरोप प्रमाणित मान लिया गया है। अपीलान्ट के यह कथन मानने योग्य नहीं हो सकते है क्योंकि यदि अपीलान्ट कार्यमुक्त नहीं हुआ होता तो वह निरन्तर उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर करता रहता जबकि अपीलान्ट के द्वारा दिनांक 18.5.2018 को तहसील लूणी में उपस्थित होकर उपस्थिति पंजिका में अपना नाम अंकित करते हुए दिनांक 1.3.2018 से दिनांक 30.4.2018 तक के हस्ताक्षर कर दिये गये। तत्पश्चात ऑफिस कानूनगों के द्वारा मना करने पर उक्त हस्ताक्षर काटते हुए उन पर लाईन खींच दी गई थी, यह पत्रावली के



संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अवलोकन से स्पष्ट प्रकट होता है। अपीलान्ट का यह कृत्य राजकीय कर्मचारी के आचरण के विरूद्ध है। अपीलान्ट ने उनकी अपील को स्वीकार किये जाने हेतु न्यायालय के समक्ष ऐसे कोई दस्तावेज अथवा साक्ष्य/गवाह पेश नहीं किये गये है, जिससे उनके कथनों को बल मिलता हो।

**14.** अधीनस्थ कार्यालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि तहसीलदार लूणी के द्वारा अपीलान्ट को दिनांक 28.2.2018 को ही तहसील कार्यालय लूणी से कार्यमुक्त किया जाकर तहसील कार्यालय फलौदी में उपस्थिति दिये जाने हेतु निर्देशित किया जा चुका था। इस प्रकार उल्लेखित समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विश्लेषण करने एवं दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन एवं गौर किये जाने के उपरान्त जिला कलेक्टर, जोधपुर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.09.2020 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं होने से उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है तथा अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

**15.** अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के उपरान्त अपीलान्ट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा जिला कलेक्टर, जोधपुर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.09.2020 को यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 23 जून, 2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. प्रतिभा सिंह)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर